न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभासिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 98/2024

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. जालूराम पुत्र हुकमाराम 2. दीपाराम पुत्र हुकमाराम 3. प्रहलादराम पुत्र हुकमाराम 4. बगताराम पुत्र हुकमाराम 5. मीरगोदेवी पत्नी हुकमाराम 6. विशनाराम पुत्र हुकमाराम सभी जातियान–जाट, निवासी– बैरडनगर, तहसील गिडा जिला बालोतरा।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिडा, जिला बालोतरा 2. पोकरसिंह पुत्र धन्नाराम जाट निवासी– बैरडनगर, तहसील गिडा जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश जो उपखंड अधिकारी, बायतू के द्वारा प्रकरण कमांक राजस्व/2024/1487 दिनांक 03.09.2024 पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री पीराणेखान, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.संख्या एक की ओर से।
3. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो की ओर से।

न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर

निर्णय

दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक तहसीलदार, गिडा के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बायतू के समक्ष एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि ग्राम रतेउ, तहसील गिडा के विभिन्न खसरान की रकबा भूमि में से मौके पर जो भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है, को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र के संलग्न उल्लेखित खसरान भूमि के नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 03.09.2024 को पारित कर दिये गये। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.11.2024 को पेश की है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 98/2024 अनवान जालूराम वगैराह बनाम राज्य वगैराह

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2024 के अनुसार यह कथन किया कि उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 21.10.2024 को पटवारी हल्का, रतेउ से जमाबन्दी लिये जाने के समय हुई, तब पटवारी हल्का ने बताया कि अपीलान्ट के खेत खसरा भूमि में से रास्ता खोलने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त जानकारी देने पर अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त करते हुए यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील पेश करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

रेस्पोडेन्टस के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त मियाद प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2024 को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया गया। अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2024 में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से नियम विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि ग्राम बैरडनगर के ख0सं0 61 वर्तमान ख0सं0 1072/61 व 1073/61 रकबा 10.5137 हैक्टर भूमि अपीलार्थी के पूर्वजों की सहखातेदारी व कब्जा-काश्त की आई हुई हैं जिसके चारों तरफ बाड-माठ की हुई है। उक्त खसरे में से होकर कोई भी कदीमी रास्ता नहीं चलता है तथा न ही कभी पहले चलता था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, गिडा की ओर से अपीलार्थी के उक्त खसरे की भूमि में से राजस्व रेकर्ड में रास्ते का अमल दरामद करने व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती कराने हेतु दिनांक 12.8.2024 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसको दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये जाने का उल्लेख किया गया है तथा आदेशिका दिनांक 3.9.2024 में ग्राम पंचायत आम नोटिस तामील होकर प्राप्त होने तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उल्लेखित खसरान भूमि के रेकर्डेड खातेदारों को न तो नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और न ही खातेदारों से इस बाबत सहमति ली गई है और बिना किसी जॉच कार्यवाही के ही दिनांक 3.9.2024 को ही

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी की खसरा संख्या 61 की भूमि में से रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को बिना खातेदार की सहमति के खातेदारी भूमि को रास्ते में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है तथा न ही धारा 136 राज0 भू- राजस्व अधिनियम के तहत भूमि की किस्म को परिवर्तन करने का अधिकार है। राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के आधार पर उल्लेखित रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित करने में विधिक भूल की गई है। तहसीलदार केवल भूमि अवाप्ति की कार्यवाही करके ही रास्ता घोषित करने की कार्यवाही कर सकते है। ऐसे में उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 8.8.2024 पोषणीय नहीं था।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्टस के खसरान भूमि में से पूर्व में एक सडक चल रही है, ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा अपनी मनमर्जी से बिना कटाण रास्ते पर अवैध तरीके से मुरडा डालकर कटाण कार्य करवाना चाहते है। उक्त मार्ग के अलावा भी पूर्व में एक सडक बिना कटाण मार्ग के चल रही है, जो हमारे खेतों के बीचों-बीच में से चल रही है। इस कारण से भी अपीलान्टस के खेत खसरान भूमि में से रास्ता दर्ज किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है, वो निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.9.2024 को निरस्त किया जावे। अपीलान्टस अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त एवं अन्य दस्तावेज के रूप में 2023(1) आरआरटी पेज 01, 2020(1) आरआरटी पेज 425, 2022(2) आरआरटी पेज 863, 2024(2) डीएनजे, पेज 1114, 2024(2) आरआरटी पेज 788, 2022(1) डीएनजे पेज 1210, तामीली परिपत्र दिनांक 17.2.1985, तामील रूलिंग धारा 59, परिपत्र दिनांक 10.08.2016 पेश किये गये जिनका बगौर अवलोकन किया गया।

प्रत्युतर में उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि तहसीलदार गिडा के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 8.8.2024 पेश कर ग्राम बैरड नगर के उल्लेखित खेत खसरान की रकबा भूमि में से मौके पर चल रहे रास्ते का राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये हेतु निवेदन किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 3.9.2024 को जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वो विधि अनुकूल होने से यथावत रखे जाने योग्य हैं।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो. संख्या दो के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतू के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.9.2024 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। उक्त अपीलाधीन आदेश में ग्राम बेरड नगर के उल्लेखित खसरान भूमि में से पूर्व से स्थित ग्रेवल सडक को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है, ऐसे में उक्त आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है, जो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या दो के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में 22 से अधिक व्यक्तियों की निजी खातेदारी की रकबा भूमि में से संचालित हो रहे रास्ते की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त व्यक्तियों/खातेदारों में से केवल मात्र अपीलान्टस ने ही उक्त ग्रेवल सडक पर हो रहे डामरीकरण की कार्यवाही को रोकने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है, अन्य सभी ग्रामवासियों को इस बाबत किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रही है और न ही अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध उनके द्वारा कोई अपील ही पेश की गई है तथा सभी खातेदारान के द्वारा उक्त रास्ते पर डामरीकरण हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई थी। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजन एवं आवागमन हेतु उपभोग/ उपयोग में लिया जा रहा है।

रेस्पो0 संख्या दो के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त ख0सं0 40 व उसके बटटा नम्बर, ख0सं0 47, 51 के बटटा नम्बर ख0सं0 58, 795/52, 54, 56, 56 के बटटा नम्बर, ख0सं0 61, 1015/808 एवं ख0सं0 809/61 के सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया है, ऐसे में सभी खातेदारान को अपीलान्टस की ओर से पेश इस अपील में आवश्यक पक्षकार बनाये जाने चाहिये थे, जो अपीलान्ट के द्वारा नहीं बनाये गये है, मात्र तहसीलदार, गिडा को ही पक्षकार बनाया गया है। अपीलाधीन आदेश में वर्णित ख0सं0 809/61 का रेस्पो0 संख्या एक का खातेदार काश्तकार है जिनके आधार पर वह इस अपील में पक्षकार रेस्पोडेन्ट बना है। उक्त रास्ते बाबत पारित किये गये आदेश को निरस्त कर दिये जाने से रेस्पोडेन्ट एवं अन्य खातेदारान के सार्वजनिक आवागमन हेतु संचालित रास्ते में बाधा उत्पन्न हो जायेगी। अपीलान्ट द्वारा मात्र वाद बाहुल्यता को बढाने हेतु यह अपील पेश की गई है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से की गई बहस पर गहनता से मनन एवं चिन्तन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का बगौर अवलोकन किया जिससें यह पाया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक तहसीलदार, गिडा के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बायतू के समक्ष एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर ग्राम रतेउ तहसील गिडा के विभिन्न खसरान की रकबा भूमि में से रास्ता संचालित हो रहा है और मौके पर भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है, को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.09.2024 को उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरान भूमि के संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अपीलार्थी के पूर्वजों की सहखातेदारी व कब्जा काश्त की है एवं उक्त खसरे में से होकर कोई भी कदीमी रास्ता नहीं चलता है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रस्ताव बाबत ग्राम पंचायत में आम नोटिस तामील करवा दिया गया था और रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करने का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि न तो खातेदारों को नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और न ही खातेदारों से इस बाबत सहमति ली गई है और बिना जॉच कार्यवाही के आदेश पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में उक्त रास्ते हेतु अपनी सहमति दी जाना प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रभावित खसरान भूमि के खातेदारान को आम सूचना के जरिये सूचित किये जाने बाबत नोटिस ग्राम पंचायत के मार्फत नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय से उक्त खसरान भूमि में से रास्ते की भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन दर्ज किये जाने के आदेश हो जाने के उपरान्त उक्त ग्रेवल सडक पर डामरीकरण की कार्यवाही प्रस्तावित होना ज्ञात होने पर उक्त खसरान भूमि के खातेदारों में से एक मात्र खसरे के खातेदारान अपीलान्टस के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रकरण में मात्र वाद की बाहुल्यता को बढावा देने की नीयत से की गई है। अतः समस्त तथ्यों के मध्यनजर हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से अस्वीकार करने योग्य पाई जाती है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 98/2024 अनवान जालूराम वगैराह बनाम राज्य वगैराह

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त
जोधपुर